



क्र. / Ref. 463 / ना.वि. / 2026

मध्यप्रदेश
नाट्य विद्यालय

दिनांक / Date 13/07/2026

प्रति,

समस्त चयनित विद्यार्थी (सत्र 2026-28)
मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय : मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के सत्र 2026-28 के लिये चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश सूचना।

—0—

मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के सत्र 2026-28 के दो वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिग्री एम.पी.ए. (नाट्य एवं रंगमंच) पाठ्यक्रम के लिये आपका चयन किया गया है।

नवीन सत्र 2026-28 में प्रशिक्षण के दौरान आपको राशि रु. 6000/- (छ: हजार मात्र) प्रतिमाह नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान उक्त छात्रवृत्ति राशि में ही आपको आवास, भोजन आदि समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं स्वयं करनी होंगी।

प्रवेश से पूर्व निम्नानुसार शुल्क एवं सरल क्र. 01 से 11 तक के निम्न समस्त दस्तावेज आपके द्वारा जमा कराना अनिवार्य है—

क्र.	विवरण	प्रवेश शुल्क / राशि
01	प्रवेश शुल्क	1,000 /—
02	कॉशनमनी	5,000 /—
	कुल रुपये छ: हजार मात्र	6,000 /—

(प्रशिक्षणोपरांत नोड्यूज (No-Dues) प्राप्त होने की स्थिति में आपके द्वारा जमा कॉशनमनी की राशि आपको वापस की जायेगी। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवं विद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रवेश, नामांकन, परीक्षा तथा अन्य संबंधी शुल्क आपको जमा/भुगतान करने होंगे)

1. प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा बीमा (Mediclaime health insurance) बनवाकर लाना अनिवार्य है। प्रवेश के दौरान उक्त चिकित्सा बीमा की प्रति विद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।
2. प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थ होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical fitness certificate)
3. पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (Declaration)
4. राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित बन्ध-पत्र (Bond)
(उक्त बंध पत्र अनुसार आपके द्वारा प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की स्थिति में भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति वापस करना होगी।)
5. पुलिस/चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र (Character Certificate)
6. प्रवासन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)
7. स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि म.प्र. नाट्य विद्यालय में प्रवेश तिथि तक गेप/अंतराल हुआ है, तो राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर/गैर न्यायिक पर उस अंतराल का गेप सर्टिफिकेट (Gap Certificate)
8. स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची की प्रति।
9. किसी पंजीकृत रंग संस्था के साथ कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र।
10. दो प्रख्यात रंग निर्देशकों के पृथक-पृथक 02 अनुशंसा पत्र।
11. रंगमंच का अनुभव जिसमें सर्टिफिकेट, ब्रोशर, पेपर न्यूज आदि की प्रतियां।

नोट : सुलभ संदर्भ के लिये सरल क्र. 02, 03 एवं 04 तक के दस्तावेजों के प्रारूपों की प्रति संलग्न है।


निदेशक
मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय
भोपाल

MEDICAL CERTIFICATE

This is to certify that I have examined Mr./Ms.

age years S/o D/o Shri/Smt.

resident of

.....

..... He/She is medically fit to undergo Two Year PG MPA

Course in Dramatics (Session 2026-28) in Madhya Pradesh School Of Drama,

Bhopal (M.P.)

Medical Officer

Signature of the examinee

Date: _____

Place: _____

अभिभावक घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पुत्र/पुत्री..... का चयन मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित सत्र 2026-28 के दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री एम.पी.ए. (नाट्य एवं रंगमंच) पाठ्यक्रम के लिये हुआ है। मैं अपने पुत्र/पुत्री को उसकी स्वयं की जिम्मेदारी पर मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय में प्रवेश लेने की सहमति देता/देती हूँ।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे अपने पुत्र/पुत्री को मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के सत्र 2026-28 में प्रवेश लेने/प्रशिक्षण प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक

हस्ताक्षर

पिता/माता का नाम:

पता:

.....

.....

मोबाईल/दूरभाष नं.

:: बन्ध पत्र ::

विद्यार्थी का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो

मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल, (म0प्र0) — प्रथम पक्ष

विद्यार्थी का नाम — द्वितीय पक्ष

1. यह कि मैं द्वितीय पक्ष श्री/सुश्रीआत्मज/आत्मजा
श्री/सुश्रीपता
.....की मूल निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा द्वितीय पक्ष का चयन, मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल के सत्र
2026-28 के दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री एम.पी.ए. (नाट्य एवं रंगमंच)
पाठ्यक्रम के लिए हुआ है।
3. यह कि मैं द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल प्रथम पक्ष में नियमित
रूप से संस्था की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।
4. मैं द्वितीय पक्ष संस्था के प्रशिक्षण काल 2 वर्ष के अंदर संस्था प्रथम पक्ष को
छोड़कर नहीं जाऊँगा/जाऊँगी। मैं संस्था प्रथम पक्ष में 2 वर्ष प्रशिक्षण लेने का
वचन देता हूँ/देती हूँ।
5. यदि मैं द्वितीय पक्ष प्रशिक्षण अवधि के दौरान, संस्था प्रथम पक्ष को
छोड़ता/छोड़ती हूँ, या प्रशिक्षण बंद करता/करती हूँ, तो प्रथम पक्ष निदेशक,
मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय को मुझसे द्वितीय पक्ष से तत्समय तक विद्यालय से
छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त राशि स्थिति अनुसार वसूलने संबंधी निर्णय का
अधिकार होगा।

दिनांक:/...../.....

कथनकर्ता के हस्ताक्षर

विद्यार्थी का नाम